पत्र सं0–7 / स्थापना व्यय–आवंटन–03 / 2023–04 (7) स्वा /
झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद।
एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर।
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग।
फुलो झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका।
मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू।
राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची।

/ स्वा0, राँची, दिनांक– 15/04/2026

विषयः स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य 05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105–एलोपैथी 39–मेडिकल कॉलेज एवं फार्मेसी प्रशिक्षण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के व्यय हेतु कुल ₹ 76,14,96,000/– (छिहत्तर करोड़ चौदह लाख छियानबे हजार) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / उपशीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता हैः–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	मांग संख्या–20 / 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	05–चिकित्सा, शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान	105–एलोपैथी / 39–मेडिकल कॉलेज एवं फार्मेसी प्रशिक्षण	₹ 76,14,96,000/– (छिहत्तर करोड़ चौदह लाख छियानबे हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित प्राचार्य होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश के संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे की विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / उपशीर्ष / विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

(शिवजी वर्मा)	(अनन्त कुमार)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव	सरकार के उप सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0आर0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय। बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के आदेश संख्या 1914/वि0 दिनांक 01.10.2020 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. प्राचार्य, द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT – Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः COBT–Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

i) संबंधित प्राचार्य प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर प्रत्येक माह का विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक वेतन विपत्र कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतनों की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Ghost Employee/अवैध रूप से नियुक्त कर्मी के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

iii) संविदा पर नियुक्त कर्मी/पदाधिकारी हेतु राशि आवंटित की जा रही है। संविदा पर नियुक्त कर्मी/पदाधिकारी के संविदा भत्ता का भुगतान अवधि विस्तार की तिथि तक ही किया जाय। अवधि विस्तार के उपरान्त ही शेष संविदा भत्ता की राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाय।

iv) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

विश्वासभाजन

04(7)ब
15/04/2026

(शिवजी वर्मा)	(अनन्त कुमार)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव	सरकार के उप सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–7/स्थापना व्यय–आवंटन–03/2023 04(7)स्वा /स्वा0,राँची,दिनांक– 15/04/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/स्थापना व्यय–आवंटन–03/2023 04(7)स्वा /स्वा0,राँची,दिनांक– 15/04/2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100510539000101	601032000
2	संविदा भत्ता	20S22100510539000108	100464000
3	छात्रवृत्ति/वजीफा	20S22100510539000650	60000000
	कुल आवंटित राशि		**761496000**

कुलः ₹ 76,14,96,000/– (छिहत्तर करोड़ चौदह लाख छियानबे हजार)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतन	संविदा भत्ता	छात्रवृति/ वजीफा	कुल आवंटित राशि
1	पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद	164090000	12240000	0	176330000
2	प्रशिक्षण फार्मेसी	4109000	0	0	4109000
3	एम0जी0एम0मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर	260800000	23280000	60000000	344080000
4	हजारीबाग मेडिकल कॉलेज	62431000	25152000	0	87583000
5	दुमका मेडिकल कॉलेज	49433000	19392000	0	68825000
6	पलामू मेडिकल कॉलेज	60169000	20400000	0	80569000
	कुल	601032000	100464000	60000000	761496000

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान & 105 - एलोपैथी & 39 - मेडिकल कॉलेज एवं फार्मेसी प्रशिक्षण

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100510539000101	20S22100510539000108	20S22100510539000650	Total
					वेतन	संविदा भत्ता	छात्रवृत्ति ꞉ वजीफा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dhanbad	DHNMED067	Ramkrishna Mahato	Principal Shaheed Nmmc Dhn	₹16,40,90,000.00 (3999)	₹1,22,40,000.00 (4027)	₹0.00	₹17,63,30,000.00
2	Ranchi	RNCMED009	Asha Rani	Principal I/C	₹41,09,000.00 (4004)	₹0.00	₹0.00	₹41,09,000.00
3	Jamshedpur	JSRMED002	Sanjay Kumar	Prin.M.G.M.Medical Coll.Jsr.	₹26,08,00,000.00 (4007)	₹2,32,80,000.00 (4029)	₹6,00,00,000.00 (4022)	₹34,40,80,000.00
4	Hazaribagh	HZBMED212	Dr. Sushil Kumar Singh	Principal Hzb Medical College	₹6,24,31,000.00 (4011)	₹2,51,52,000.00 (4031)	₹0.00	₹8,75,83,000.00
5	Dumka	DMKMED245	Dr.Gajendra Kumar Singh	Principal	₹4,94,33,000.00 (4014)	₹1,93,92,000.00 (4035)	₹0.00	₹6,88,25,000.00
6	Palamu	PLMMED168	Jakka Srinivas Rao	Pri.Plm.Medical.College.Palamu	₹6,01,69,000.00 (4017)	₹2,04,00,000.00 (4037)	₹0.00	₹8,05,69,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹76,14,96,000.00 (छहत्तर करोड़ चौदह लाख छ्यानवे हजार **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

04(7)ब
15/04/2026

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY